



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243]
No. 243]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 1984/आषाढ़ 12, 1906
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 1984/ASADHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अस और पुनर्वास मंत्रालय

(अस विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1984

प्रारूप नियम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

सा० का० नि० 492 (अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) की धारा 58 के खंड (द) से (न) तक और खंड (फ) और (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप की श्रावत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

1. संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ —(8) इन नियमों का नाम खान बचाव नियम 1984 है।

(2) वे ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2. परिभाषाएँ— इन नियमों में जहाँ तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो

(क) “अधिनियम” से खान अधिनियम, 1952 अभिप्रेत है;

(ख) “खनन परीक्षा बोर्ड” से यथास्थिति कोयला खान विनियम, 1957 या धातुमय खान विनियम 1961 के अधीन पठित खनन परीक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “मुख्य निरीक्षक” से अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त खानों का मुख्य निरीक्षक अभिप्रेत है;

- (ब) "कोरमैन प्रमाणपत्र" से खान परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।
- (ब) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त खान का निरीक्षक अभिप्रेत है ;
- (क) "प्रबन्धक प्रमाणपत्र" से खान परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;
- (छ) किसी खान के प्रति निर्देश से "मामूली तौर पर नियोजित" से पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान उस खान में प्रति दिन नियोजित व्यक्तियों की ऐसी औसत संख्या अभिप्रेत है जो श्रमिक दिनों की संख्या में वस्तुतः कार्य दिवसों की संख्या का भाग देकर आए ;
- (ज) "ओवरमैन प्रमाणपत्र" से खान परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;
- (झ) "प्रादेशिक निरीक्षक" से खान का वह निरीक्षक अभिप्रेत है जो—
- (i) उस प्रदेश या स्थानीय क्षेत्र का भारसाधक है जिसमें खान स्थित है, या
- (ii) खानों के उस समूह या वर्ग का भारसाधक है जिसकी वे खाने हैं और जिस पर वह अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करता है ;
- (ञ) "बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोशियेशन (इंडिया) के स्तर का विद्यमान्य प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र है और जो अनुसूची 6 के भाग 1 में यथा उपवर्णित शिक्षा और अभ्यासों का कोर्स पूरा कर चुका है और अनुसूची 6 के भाग 2 में यथा उपवर्णित शिक्षा और अभ्यासों का कोर्स पूरा कर रहा है तथा जो नियम 22 और 23 के अधीन निलम्बित या अनुपयुक्त घोषित नहीं किया गया है ;
- (ट) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ठ) "अधीक्षक" से बचाव स्टेशन का अधीक्षक अभिप्रेत है।

अध्याय 2

बचाव स्टेशन और बचाव कमरे

3. बचाव स्टेशन की स्थापना और अवस्थिति—(1) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा खान के या खानों के समूह के स्वामी से ऐसे स्थान या स्थानों में और ऐसे बिजारीन और विनिर्देशों के अनुसार जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे एक या अधिक बचाव स्टेशन स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने की अपेक्षा कर सकता है। उस आदेश में उन खानों के नाम भी विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो ऐसे बचाव स्टेशन की सेवाओं का उपयोग करती हैं :

परन्तु यदि किसी क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्तियों की खाने हैं तो मुख्य निरीक्षक ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लिखित में विनिर्दिष्ट करे उन खानों के दो या अधिक स्वामियों को संयुक्त रूप से एक ही बचाव स्टेशन स्थापित करने की अनुज्ञा दे सकता है।

परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को जो बचाव स्टेशन कार्य कर रहे थे वे सब तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुकूलिक व्यवस्थाएं नहीं कर दी जाती।

(2) प्रत्येक बचाव स्टेशन पर एक अधीक्षक की और कम से कम दो निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और कम से कम अठारह बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक बचाव ब्रिगेड भी रखा जाएगा।

4. बचाव स्टेशन के कृत्य बचाव स्टेशन के कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित कृत्य हैं :—

- (i) बचाव कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण देना ;
- (ii) बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को पुनश्चर्चा प्रशिक्षण देना ;
- (iii) बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं या लम्बे समय तक चलने वाले बचाव का प्रत्युद्धारण कार्य की दशा में अपनी बचाव टीम और उपस्कर द्वारा सहायता देना ;
- (iv) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन छूट प्राप्त खानों की बाबत बचाव कमरे के कार्यों का सम्पादन करना।

5. बचाव कमरों की स्थापना और अवस्थिति (1) प्रत्येक ऐसी खान में जहाँ भूमि के नीचे मामूली तौर पर 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं खान के प्रवेश द्वार के निकट सतह पर एक बचाव कमरे की व्यवस्था की जाएगी ;

परन्तु एक ही स्वामी की अनेक खानों के लिए एक बचाव कमरे की व्यवस्था करना उस दशा में पर्याप्त हो सकता है जब—

(क) ऐसी सभी खानों में भूमि के नीचे कामों में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक न हो और

(ख) खानें बचाव कमरे से 10 किलीमीटर से अधिक दूरी के भीतर हों और वे सड़क से जुड़ी हों ;

परन्तु यह और कि मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे उक्त परन्तुक के खंड (क) की अध्यापिका को किसी ऐसे बचाव कमरे के बारे में जो एक ही स्वामी की खानों के समूह की सेवा कर रहा है शिथिल कर सकता है और ऐसे बचाव कमरे को उसके अपने कृत्यों के अतिरिक्त बचाव स्टेशन के कृत्यों का, जिनमें नियम 4 में अधिकृत बचाव

कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण देना सम्मिलित नहीं है निर्बलन करने के लिए उस दशा में अनुज्ञात कर सकता है जब ऐसा बचाव कभरा—

- (क) अपेक्षित अतिरिक्त बचाव साधनों से जिनमें वो घंटे स्वयंपूर्ण श्वसन साधनों के कम से कम पन्द्रह सेट भी है सज्जित हों, और
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति के भारसाधन में हो जो नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन विहित प्रहृताएं रखता हो और उसमें कम से कम पांच बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक नियम 6 के उपनियम (1) में विहित प्रहृताएं रखता हो, तैनात किए गए हों।

(2) उपनियम (i) में किसी बात के होते हुए भी, उन कोयला खानों की दशा में जिनमें द्वितीय या तृतीय शिफ्टी की आग्नेय सीवन या गैसीय सीवन है, मुख्य निरीक्षक उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, बचाव कमरे की व्यवस्था की जाने की अपेक्षा कर सकता है, भले ही उसमें मामूली तौर पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो।

(3) मुख्य निरीक्षक बचाव स्टेशन के दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर अवस्थित किसी खान को बचाव कमरे की व्यवस्था से छूट दे सकता है।

(4) प्रत्येक बचाव कमरे में एक बचाव कमरा भारसाधक और उसने बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति जितने आवश्यक हों नियुक्त किए जाएंगे और उनमें से कम से कम एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति कमरे में सदैव हाजिर रहेगा।

8. बचाव कमरे के कृत्य—नियम 5 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन रहते हुए, बचाव कमरा श्वसन साधनों और अन्य बचाव उपकरणों और साधनों को भण्डार में रखने, उन्हें जोड़ने, उनका परीक्षण और समायोजन करने और आपात की दशा में उन्हें खान में शीघ्र भेजने की व्यवस्था करेगा।

7. अधीक्षक की नियुक्ति—(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति अधीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह —

- (i) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति न हो,
- (ii) खान में भूमि के नीचे काम का कम से कम पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति न हो, और,
- (iii) प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र का धारक न हों;

परन्तु प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र उस प्रकार का नहीं होगा जैसा विवृत खनिक के लिए होता है।

(2) स्वामी, अधीक्षक के भार ग्रहण करने या भारमुक्त होने की तारीख से सात दिन के भीतर उसकी सूचना प्रारूप 1 में मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को करेगा।

(3) अधीक्षक की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम अनुदेशक बचाव स्टेशन का प्रभारी होगा;

परन्तु जब अधीक्षक की अनुपस्थिति 60 दिन से अधिक की हो जाती है तब स्वामी किसी दूसरे अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।

8. निरीक्षकों की नियुक्ति—(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह —

- (i) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति न हो;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य का कम से कम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति न हो; और
- (iii) प्रबंधक प्रमाणपत्र का धारक न हो;

परन्तु प्रबंधक प्रमाणपत्र उस प्रकार का नहीं होगा जैसा विवृत खनिक के लिए होता है।

9. बचाव स्टेशनों पर बचाव विग्रेड—(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् बचाव विग्रेड के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन उन खानों में, जो बचाव स्टेशन की सेवाओं का उपयोग करती हैं, नियोजित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों में से अधीक्षक द्वारा खानों के प्रबंधकों के परामर्श से किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन चयन किया गया व्यक्ति कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिए बचाव विग्रेड में तैनात किया जाएगा।

(3) बचाव विग्रेड में तैनात प्रत्येक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति वही मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा जो वह खान में नियोजन के समय प्राप्त कर रहा था।

10. बचाव कमरे के भारसाधक की नियुक्ति—बचाव कमरे का भारसाधक—

- (i) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति होगा;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य का कम से कम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति होगा; और
- (iii) या तो प्रबंधक प्रमाणपत्र, या फोरमैन प्रमाणपत्र या फोरमैन प्रमाणपत्र का धारक होगा;

परन्तु फोरमैन प्रमाणपत्र उस प्रकार का नहीं होगा जैसा विवृत खनिक के लिए होता है।

11. उपस्कर—(1) हर बचाव स्टेशन पर, अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट साधन और उपस्कर की व्यवस्था होगी और उन्हें तुरन्त उपयोग के लिए बनाए रखा जाएगा।

(2) हर बचाव कमरों पर, अनुसूची 2 में यथाविनि-
ष्ट साधन और उपस्कर की व्यवस्था होगी। और उन्हें
तुरन्त उपयोग के लिए बनाए रखा जाएगा।

(3) बचाव स्टेशन पर रखे गए स्वयंपूर्ण श्वसन साधन
और वे जो उसके अधीन बचाव कमरों पर रखे गए हैं एक
ही किस्म और बनावट के होंगे।

(4) ऊपर उपनियम (1) और (2) के अनुसरण में
रखे गए साधन और उपस्करों में से निम्नलिखित मुख्य
निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किस्म और स्तर के होंगे—

- (क) श्वसन साधन;
- (ख) धुएं से बचने के टोप और उस प्रयोजन में आने
वाले अन्य साधन;
- (ग) पुनरुज्जीवन साधन;
- (घ) विद्युत निरापद लैम्प और ज्वाला निरापद लैम्प;
और
- (ङ) गैस संसूचक

और यदि कोई साधन या उपस्कर मुख्य निरीक्षक द्वारा
अनुमोदित किस्म या स्तर का नहीं है तो उसे न तो किसी
बचाव स्टेशन पर रखा जाएगा और न किसी बचाव कमरे
पर और न वह प्रयोग में ही लाया जाएगा।

(5) सभी श्वसन साधन और प्रत्येक प्रवाहगामी नियत-
काल पर समजिता और उनकी जांच की जाएगी और श्वसन
साधन के उपयोग के लिए आक्सीजन की शुद्धता की जांच
की जाएगी। यह जांच अनुसूची 2 में विहित रीति में की
जाएगी।

(6) जब किसी खान में किसी बचाव साधन के
उपयोग के कारण ऐसी कोई दुर्घटना, जैसी अधिनियम की
धारा 23 में विनिर्दिष्ट है तब प्रबंधक उसकी लिखित रिपोर्ट
उसके होने के चौबीस घंटों के भीतर मुख्य निरीक्षक और
प्रादेशिक निरीक्षक को प्ररूप 2 में करेगा।

परन्तु यदि कोई ऐसी दुर्घटना किसी बचाव स्टेशन या
बचाव कमरे पर हो तो वैसी ही रिपोर्ट अधीक्षक द्वारा भेजी
जाएगी।

अध्याय 3

अधीक्षक कर्तव्य और उसका उत्तरदायित्व

12. अधीक्षक के कर्तव्य और उसका उत्तरदायित्व —

(1) अधीक्षक का ऐसे बचाव स्टेशन और बचाव कमरों
पर पूर्ण नियंत्रण होगा जिनमें वह सेवारत है।

(2) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणा-
धीन बचाव स्टेशन और बचाव कमरों पर रखे सभी बचाव
उपस्कर और साधन अच्छी चालू हालत में रखे जाते हैं।

(3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव उपस्कर
और साधन अच्छी चालू हालत में बनाए रखने के लिए
अतिरिक्त पूर्ण और आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक रखा
जाता है।

(4) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणा-
धीन बचाव स्टेशन और बचाव कमरों पर रखे सभी बचाव
उपस्करों और साधन का विहित अन्तरालों पर अनुदेशकों
द्वारा निरीक्षण और उनकी विहित जांच और समंजन
किया जाता है। वह नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन
रखे गए अभिलेख को प्रति हस्ताक्षरित करेगा :

परन्तु नियम 5 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक
के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार के किसी बचाव कमरे के बारे में,
अधीक्षक उस कमरे के प्रारंभिक को मार्फत उक्त कार्य
करा सकता है।

(5) अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक प्रशिक्षण
के लिए चयन किए गए व्यक्ति और पुनश्चर्चा प्रशिक्षण
प्राप्त करने वाले व्यक्ति विहित शिक्षण और प्रशिक्षण
प्राप्त कर रहे हैं।

(6) अधीक्षक अपने नियंत्रणाधीन बचाव कमरों का
कालिक निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि
इन नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जाता है।

(7) खान में आपात की दशा में, अधीक्षक ऐसे बचाव
और प्रत्युद्धारण कार्य करेगा जो खान के प्रबंधक द्वारा या
उसकी अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रधान पधारी
द्वारा उसे सौंपा जाए।

(8) अधीक्षक सिले हुए पृष्ठों की एक डायरी रखेगा
और उसमें वह अपने प्रत्येक निरीक्षणों के परिणाम अधिलिखित
करेगा और निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों को दुरुस्त
करने के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई भी उसमें
अभिलिखित की जाएगी।

13. अनुदेशकों के कर्तव्य - (1) अधीक्षक के निदेश
के अधीन अनुदेशक—

(क) बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए चयन किए गए
व्यक्तियों और बचाव प्रशिक्षण व्यक्तियों के
शिक्षण और अभ्यास कोर्सों को पूरा करेगा और
उसका अभिलेख रखेगा; और

(ख) बचाव उपस्कर और साधन का निरीक्षण, जांच
और समंजन करेगा और उसका अभिलेख रखेगा।

(2) खान में आपात की दशा में, अनुदेशक ऐसे बचाव
और प्रत्युद्धारण कार्य करेंगे जो खान के प्रबंधक द्वारा या
उसकी अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रधान पधारी
द्वारा सौंपा जाए।

(3) अनुदेशक अधीक्षक की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना
बचाव स्टेशन को नहीं छोड़ेगा।

14. बचाव स्टेशनों पर तैनात बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के कर्तव्य—

बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति—

- (क) अधीक्षक या अनुदेशक द्वारा जारी किए गए सभी विधिपूर्ण आदेशों का पालन करेगा और उनके कृत्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करेगा;
- (ख) टेलीफोन और बेलार काल सुनेगा;
- (ग) बचाव स्टेशन को साफ और स्वच्छ हालत में रखेगा;
- (घ) खान में बचाव और प्रत्युद्धारण संबंधी कार्य करेगा; और
- (ङ) अधीक्षक की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना बचाव स्टेशन को नहीं छोड़ेगा।

15. बचाव कमरे के भारसाधक के कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारियाँ—

बचाव कमरे का प्रत्येक भारसाधक—

- (क) बचाव कमरे की सेवाओं का उपयोग करने वाली खानों की एक सूची प्रमुख स्थान में प्रदर्शित करेगा;
- (ख) बचाव कमरे पर रखे सभी बचाव उपस्कर और साधनों का उचित अभिलेख रखेगा;
- (ग) बचाव कमरे पर रखे उपस्कर और साधन अच्छी हालत में और तुरन्त उपयोग के लिए तैयार रखे जाएंगे;
- (घ) बचाव कमरे पर रखे उपस्कर और साधनों के निरीक्षणों का उचित अभिलेख रखेगा;
- (ङ) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को न तो बचाव कमरे में प्रवेश करने देगा और न उसमें से कोई साधन या उपस्कर ले जाने देगा।

16. बचाव कमरे के परिवार के कर्तव्य—बचाव कमरे का प्रत्येक परिवार—

- (क) बचाव कमरे को जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह प्रतिस्थानी द्वारा आरोन्मुक्त न कर दिया जाए;
- (ख) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को न तो प्रवेश करने देगा और न उसमें से कोई साधन या उपस्कर ले जाने देगा;
- (ग) टेलीफोन काल सुनेगा और उनका अभिलेख रखेगा;
- (घ) बचाव कमरे को साफ और स्वच्छ हालत में रखेगा; और
- (ङ) बचाव कमरे के भारसाधक के सभी विधिपूर्ण आदेशों का पालन करेगा और उनके कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा।

अध्याय 4

खानों में व्यवस्था और उपस्कर

17. टेलीफोन संचार—प्रत्येक खान और उस खान में सेवारत बचाव कमरे और बचाव स्टेशन के बीच टेलीफोन संचार की व्यवस्था होगी और जब कभी साध्य हो बेलार संचार की भी व्यवस्था की जाएगी :

परन्तु जहाँ टेलीफोन संचार की कोई पद्धति न हो, वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, किसी अन्य संचार माध्यम का अनुमोदन कर सकता है।

18. बचाव रेखाचित्र—प्रत्येक ऐसी खान में, जिसमें भूमि के नीचे काम हो रहा है, बचाव कर्मचारियों के उपयोग के लिए यथोचित रूप में स्पष्ट और पढ़े जाने योग्य रेखाचित्रों की पर्याप्त संख्या जो तीन से कम नहीं होगी, रखी जाएगी। ये रेखाचित्र पिछले तीन मास से अनाधिक की तारीख तक खान के कार्यकरण के बारे में होंगे और इनमें खान में संवातन की पद्धति और विशिष्टतया वायुप्रवाह की संधारण दिशा, प्रत्येक स्तल जहाँ वायु की मात्रा मापी जाती है, प्रत्येक एयर-क्रासिंग, संवातन द्वार, अवरोधन, बूस्टर पंखा और वायु के विनियमन और वितरण के लिए कोई भी अन्य प्रधान युक्ति, फायर डैम, प्रारम्भिक अवरोधन, प्रत्येक अग्निशामक उपस्कर, प्रत्येक जल-बांध लम्बाई-चौड़ाई और सन्निगण की अन्य विशिष्टियों सहित, प्रत्येक पम्प, टेलीफोन और एम्ब्रूवेंस स्टेशन, ज्वलनशील सामग्री का भंडार रखने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक कमरा, रिजर्व स्टेशन और प्रत्येक कर्षण मार्ग और यात्रा मार्ग दर्शित किए जाएंगे। इन रेखाचित्रों में प्रयुक्त संकेत वे होंगे जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

19. खानों में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति, उनका उपयोग और उनके लिये वास-सुविधा—(1) जहाँ किसी खान में भूमि के नीचे मामूली तौर पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक हो, वहाँ ऐसी खान का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजित व्यक्तियों में से 1000 व्यक्तियों के नियोजन तक के लिए ऐसे प्रत्येक 50 व्यक्तियों या उसके भाग पर जो भूमि के नीचे कार्य में नियोजित हैं, एक व्यक्ति या उसके पश्चात् प्रत्येक ऐसे 100 व्यक्ति या उसके भाग पर एक व्यक्ति के मापमान से बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हैं :

परन्तु किसी खान में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या उतनी होगी कि उपनियम (4) के उपबन्धों का अनुपालन किया जा सके।

(2) यथासाध्य, व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि सभी बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति विभिन्न कार्य पारियों के लिए समान संख्या में वितरित कर दिए जाएं। प्रत्येक पारी के लिए किए गए ऐसे व्यक्तियों के वितरण की एक अद्यतन सूची खान के कार्यालय में सूचनापट पर लगाई जाएगी।

(3) सभी बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए खान के प्रवे द्वार के निकट निवास स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि कम से कम पांच बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हर समय सतह पर आसामी से उपलब्ध रहें।

(5) बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को तुरन्त बुलाने के लिए प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रभावी घंटों की या कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।

20. बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों का चयन—

(1) कोई व्यक्ति बचाव कार्य में तब तक प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(i) वह 21 और 31 वर्ष की आयु के बीच का न हो और उसके पास सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इण्डिया) के स्तर का वैध प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र न हो;

(ii) उस खान का प्रबंधक जहाँ वह व्यक्ति नियोजित है लिखित रूप में प्रमाणित न कर दे कि उसे भूमि के नीचे बचाव कार्य का पर्याप्त अनुभव है;

(iii) अहित चिकित्सा-व्यवसायी अनुसूची 5 के अनुसार जांच करने के पश्चात् यह प्रमाणित न कर दे कि वह सभी शारीरिक रोगों या दुर्बलता से मुक्त है और बचाव कार्य करने के योग्य है; और

(iv) वह, बचाव स्टेशन के अधीक्षक द्वारा ऐसी जांच और साक्षात्कार के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, बचाव कार्य के लिए उपयुक्त न समझा जाए।

(2) खान के जिस चिकित्सा अधिकारी को बचाव स्टेशन का अधीक्षक उपयुक्त और उपयोगी समझे उसे बचाव कार्य में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

21. शिक्षण और अभ्यास आदि—(1)(क) बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची 6 के भाग 1 में उपबणित शिक्षण और अभ्यास का कोर्स पूरा करेगा और खान परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह बचाव और प्रत्युद्धारण कार्य करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु यदि इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व बचाव स्टेशन का अधीक्षक किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही यह प्रमाणित कर चुका है कि वह दक्ष है और वह व्यक्ति सक्रिय बना रखा है, तो वह इस नियम के अधीन समक्ष समझा जाएगा।

(ख) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अनुसूची 6 के भाग 2 में उपबणित अभ्यास करेगा और शिक्षण प्राप्त करेगा।

(2) अभ्यास करने वाले या शिक्षण प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों का एक अभिलेख प्रत्येक बचाव स्टेशन पर रखा जाएगा। इस अभिलेख में निम्नलिखित बातें होगी—

(i) प्रत्येक अभ्यास की तारीख और उसका स्वरूप;

(ii) प्रत्येक मनुष्य की अभ्यास के पश्चात् दशा और यदि उसकी दशा में कोई असामान्य बात दिखाई दी हो तो क्या वह साधित की त्रुटि के कारण थी या स्वयं मनुष्य के कारण थी; और

(iii) कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

22. बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा आदि—(1) प्रत्येक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार अहित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अनुसूची 5 के अनुसार पुनः परीक्षा की जाएगी और यदि वह ठीक नहीं पाया जाता है तो वह उस तारीख से जिसको वह चिकित्सीय दृष्टि से अयोग्य घोषित किया जाता है बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं रहेगा।

(2) पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 1 जनवरी 1988 से कोई भी व्यक्ति बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं रहेगा :

परन्तु यह उपनियम बचाव ग्रेड के उन सदस्यों को लागू नहीं होगा जिनको नियुक्ति कायला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन की गई है।

23. बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के प्रमाणपत्र का निलम्बन—यदि कोई बचाव प्रशिक्षण व्यक्ति बचाव या प्रत्युद्धारण कार्य करने से इंकार करता है या वह उसमें असक्षम पाया जाता है या वह उसकी उपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, अधीक्षक या खान का स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक ऐसे व्यक्ति के प्रमाणपत्र को निलम्बित या रद्द करने के लिए प्रादेशिक निरीक्षक को उस विषय की लिखित रिपोर्ट करेगा।

अध्याय 5

बचाव कार्य का संचालन

24. आपात में प्रबंधकों आदि के कर्तव्य—(1) किसी ऐसी आपात की जानकारी प्राप्त होने पर जिसमें किसी बचाव टीम की सेवाएं अपेक्षित हों, प्रबंधक या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रधान पदधारी तुरन्त—

(क) आवश्यक सहायता के लिए बचाव कमरे को जानकारी देगा;

(ख) खान में नियोजित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को बुलाएगा;

(ग) पास की खानों में नियोजित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए खानों के

स्वाधी, अभिकर्ता या प्रबंधक को जानकारी देगा;

- (घ) बचाव स्टेशन को घटना की प्रकृति के बारे में जानकारी देगा; बताएगा कि बचाव स्टेशन से सहायता की आवश्यकता है अथवा नहीं;
- (ङ) चिकित्सीय सहायता बुलाएगा; और
- (च) प्रादेशिक निरीक्षक को घटना की जानकारी भेजेगा।

(2) खान में सभी बचाव और प्रत्युद्धरण कार्य का संचालन खान के या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रधान पदधारी के पूर्ण नियंत्रण, निवेश और पर्यवेक्षण में किया जाएगा :

परन्तु ज्वलन, विस्फोट, भूमि के नीचे आग लगना और अनेक व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी बड़ी आपात की वशा में, प्रबंधक या प्रधान पदधारी बचाव और प्रत्युद्धरण संक्रियाओं के बारे में विनिश्चय करते समय एक ऐसे समूह से, जिसमें प्रबंध मंडल का एक ज्येष्ठ पदधारी और खान सुरक्षा महानिदेशालय, सम्पूक्त बचाव स्टेशन और कर्मचारों का नान्यताप्राप्त संघ का एक-एक प्रतिनिधि होगा, मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, किन्तु फिर भी उसे उक्त समूह के गठन या उसके विचार-विमर्श का इन्तजार किए बिना आवश्यक विनिश्चय करना और म्यिन के अनुसार संक्रियाओं का निर्देश करना जरूरी है।

25. बचाव कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए खान पर वास-सुविधा—जब कभी बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति, अभ्यास प्रयोजनों के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए खान में लगाए जाएं तब खान में बचाव या प्रत्युद्धरण कार्य के लिए अपेक्षित साधनों के भण्डारकरण और भरण के लिए और उन बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के, जो ऐसे कार्य में लगे हों, उपयोग के लिए खान पर वास सुविधा, खान में उपयोग में आने वाले प्रवेश द्वारों के समीप किसी सुविधापूर्ण स्थान पर होंगे और वह उचित रूप से संवातित और प्रकाशित होंगी। ऐसी वास सुविधा में शीतल और स्वास्थ्यकर पेय जल की व्यापोग्य मात्रा की व्यवस्था की जाएगी और बचाव कर्मचारों के लिए कैंटीन की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी।

26. बचाव या प्रत्युद्धरण कार्य के लिए खानों में प्रवेश—

- (1) कोई भी व्यक्ति बचाव या प्रत्युद्धरण कार्य के प्रयोजन के लिए खान या उसके भाग में, जो असुरक्षित है, प्रवेश करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रबंधक या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित खान के प्रबंध पदधारी द्वारा प्राधिकृत न कर दिया जाए, स्वयंपूर्ण श्वसन साधनों का उपयोग करने के प्रयोजन के लिए हो बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को खान में प्रवेश करने दिया जायेगा।

(2) ऐसी संक्रिया के बाजू रहने के दौरान एक या अधिक खान के प्रवेश द्वार पर तैनात रहेंगे और खान में प्रवेश करने वाले और बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों के आने-जाने के समय का लिखित अभिलेख रखेंगे।

27. शुद्ध वायु केन्द्र—यथाशक्यशीघ्र, शुद्ध वायु वाले, स्थानों पर एक या अधिक वायु केन्द्र अश्वसनीय क्षेत्र या क्षेत्रों के उतने निकट जितना बचाव के लिए आवश्यक हो, स्थापित किए जायेंगे। हर ऐसा केन्द्र, यदि संभव हो तो टेलीफोन द्वारा—

- (i) यदि केन्द्र भूमि के नीचे है, तो सतह से, या
- (ii) यदि केन्द्र भूमि के ऊपर है तो शीफ्ट तल से, सम्पर्क स्थापित रखेगा।

(2) ऐसे मामलों के सिवाय जहाँ विलम्ब के कारण जीवन को खतरा हो सकता है, बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति उस स्थान से जहाँ केन्द्र स्थापित किया जाता है, परे तब तक नहीं जाएँगे जब तक कि उस केन्द्र पर निम्नलिखित मौजूद न हों—

- (क) दो व्यक्ति, जिनमें से, यदि साध्य है तो एक अर्हित चिकित्सा व्यवसायी भी होगा और दूसरा बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति होगा;
- (ख) तुरन्त सेवा के लिए बचाव साधन सहित एक अतिरिक्त दल;
- (ग) एक या अधिक पुनश्चेतन साधन, आक्सीजन पुनश्चेतक आदि;
- (घ) प्राथमिक उपचार बक्स और स्ट्रेचर;
- (ङ) कार्बन मोनोक्साइड के परीक्षण करने के साधन;
- (च) एक आब्रतामापी; और
- (छ) दो ज्वाला निरापद लैम्प।

(3) जब कभी व्यक्ति पहले से ही शुद्ध वायु केन्द्र से परे काम पर हों तो उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, साधन और उपस्कर, यथा सम्भव शीघ्र, केन्द्र पर रखे जायेंगे।

28. नेता—खान में श्वसन साधन सहित काम में लगी प्रत्येक बचाव टीम, एक नेता के अधीन होगी जिसे प्रबंधक या उसकी अनुपस्थिति में प्रधान पदधारी या प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति नियुक्त करेगा।

29. नेता को अनुदेश—बचाव टीम को भूमि के नीचे भेजने से पूर्व, प्रबंधक या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित खान का प्रधान पदधारी या प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति टीम के नेता को स्पष्ट अनुदेश देगा कि वह कहाँ जाएगा और क्या करने का प्रयत्न करेगा।

30. साधनों की परख—भूमि के नीचे जाने से पूर्व नेता टीम के स्वयंपूर्ण श्वसन साधनों की परख करेगा या

अपने सामने परख कराएगा कि उनमें क्षरण तो नहीं है। कोई भी ऐसा साधित्र तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि वह सुरक्षित न पाया जाए। वह अपनी टीम के उपस्करों की जाँच करेगा और अश्वसनीय वायु में प्रवेश करने से ठीक पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सभी श्वसन साधित्र उचित रूप से काम कर रहे हैं।

31. भूमि के नीचे नेता के कर्तव्य—(1) नेता शारीरिक काम नहीं करेगा। वह अपना ध्यान एकमात्र टीम को निदेश देने में और उसे सुरक्षित रखने में देगा। वह आते जाते समय छत और आलम्बों की जाँच करेगा और यदि मार्ग के किनारे किसी स्थान पर अवपात की कोई सम्भाव्यता हो तो आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक टीम उस स्थान को सुरक्षित न बना दे।

(2) नेता टीम को एक साथ रखेगा और टीम के किसी सदस्य को टीम से बिछुड़ने नहीं देगा।

(3) यदि वायुमण्डल साफ हो तो नेता, दो या अधिक मार्गों के जुड़ने के स्थान से गुजरते समय, खल्ली (चाक) से तीर के चिह्नों के जरिए अपना मार्ग स्पष्ट रूप से उप-वर्णित करेगा। यदि वायुमण्डल अन्धकारमय हो तो नेता शुद्ध वायु केन्द्र से एक सुरक्षा रेखा (साइफ-लाइन) डलवाएगा और टीम के किसी सदस्य को उस लाइन की पहुंच से बाहर न जाने देगा; या यदि ऐसा करना असाध्य हो तो वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि रास्ते में निकलने वाले हर साखा मार्ग पर सम्पूर्ण खुले स्थान पर बाड़ न लगा दी जाए।

(4) बचाव साधित्रों का उपयोग करते समय नेता एक बड़ी ले जाएगा और लगभग बीस मिनट के अन्तरालों पर संपीड़ित आक्सीजन का दबाव लिखित में नोट करेगा और काफी समय रहते यात्रा प्रारम्भ करेगा। यात्रा करने के दौरान वह सबसे धीमे सदस्य की चाल से चलेगा। यदि टीम का कोई सदस्य कष्ट में हो तो वह सम्पूर्ण टीम के साथ शुद्ध वायु केन्द्र को तुरन्त लौट जाएगा।

(5) नेता खान में श्वसन साधित्रों का उपयोग करने वाली टीम के किसी सदस्य को एक समय में 1½ घण्टे से दीर्घतर अवधि पर्यन्त या, ऐसी अन्य अवधि पर्यन्त जैसी कि उपयोग किए जा रहे श्वसन साधित्र के बारे में मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

32. बचाव टीम के सदस्य और उनके कर्तव्य—(1) खान में श्वसन साधित्रों का उपयोग करने वाली किसी बचाव टीम में व्यक्तियों की संख्या, नेता सहित, कम से कम पांच और अधिक से अधिक छह होगी।

(2) यदि साधित्र की किस्म के अनुसार संभव हो तो हर बचाव टीम में कम से कम एक व्यक्ति साधित्र धारण करेगा जिसमें ऐसा विस्तारण होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति को आक्सीजन पहुंचाई जा सके।

(3) बचाव टीम के सदस्य एक दूसरे को संसूचित करने के लिए साधारणतया अनुसूची 7 में विहित संकेतकों का उपयोग करेंगे।

(4) टीम का हर सदस्य, बचाव साधित्रों के साथ यात्रा करने में, ऐसी चाल से कदम रखेगा जैसी कि गिनती करते समय बताई जाए। यदि चाल बहुत अधिक तेज हो, या यदि कष्ट अनुभव होता हो तो सदस्य इस तथ्य के प्रति अविलम्ब ध्यान दिलाएगा।

(5) खान में श्वसन साधित्रों के साथ काम में लगी हुई बचाव टीम के हर सदस्य टीम के नेता के आदेशों का अनुपालन करेगा।

33. काम के दूसरे दौर का निर्बन्धन—कोई भी व्यक्ति किसी अहित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किए बिना और स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक पाए बिना अश्वसनीय वायु में काम का दूसरा दौर या उत्तरवर्ती दौर प्रारम्भ नहीं करेगा।

अध्याय—6

प्रकीर्ण

34. कतिपय स्थिति में स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक की बाध्यता—जब किसी खान में, जिसमें चाहे बचाव कमरा या बचाव स्टेशन सेवारत हो या न हो, कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है, तब खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक निकटतम बचाव कमरे या बचाव स्टेशन की, यथास्थिति, सहायता या अतिरिक्त सहायता ले सकता है। ऐसी दशा में—

(क) वह बचाव कमरा या बचाव स्टेशन जिसमें सहायता मांगी गई है सभी सम्भव सहायता तुरन्त देगा; और

(ख) खान का स्वामी उधार ली गई बचाव सेवाओं और सुविधाओं का पूरा खर्च ऐसी सहायता देने वाले बचाव कमरे या बचाव स्टेशन के स्वामी को देगा।

35. साधारण प्रबंध—स्वामी इन नियमों की अपेक्षानुसार बचाव कमरे या बचाव स्टेशन स्थापित करने, उनका अनुरक्षण करने और उनके कृत्यों का उचित सम्पादन सुनिश्चित करने, अधीक्षकों, अनुदेशकों, बचाव कमरे के भारसाधकों, बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों, परिवारों की नियुक्ति करने और आवश्यक बचाव उपस्कर और साधित्रों की, जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हों, व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा।

36. निरीक्षण—(1) मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक किसी बचाव स्टेशन, बचाव कमरे या उसके किसी भाग में प्रवेश, उसका निरीक्षण और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसी परीक्षा या जांच कर सकता है जैसी वह यह अभि-

निश्चित करने के लिए ठीक समझे कि इन नियमों और तद्दीन बनाए गए किन्हीं आदेशों के उपबंधों का पालन किया जाता है।

(2) जब किसी बचाव स्टेशन या बचाव कमरे की सेवाओं का उपयोग करने वाली खानें एक या अधिक प्रादेशिक निरीक्षकों की अधिकारिता से पड़ती हों, तो मुख्य निरीक्षक ऐसे बचाव स्टेशन या बचाव कमरे में इन नियमों के प्रवर्तन के लिए किसी प्रादेशिक निरीक्षक या निरीक्षक को प्राधिकृत कर सकता है।

37. शिथिल करने की शक्ति—जहां मुख्य निरीक्षक की राय में, किसी खान या बचाव स्टेशन या बचाव कमरे

से संबंधित शर्तें ऐसी हैं, कि उनके कारण इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करना अनावश्यक और अव्यवहार्य हो जाता है तो वह लिखित आदेश देकर उन शर्तों पर जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे उक्त उपबंधों से छूट दे सकता है।

38. निरसन और व्यावृत्ति—(1) कोयला खान बचाव, नियम, 1959 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्ररूप 1

[नियम 7(2) देखिए]

अधीक्षक की नियुक्ति आदि की जानकारी

प्रेषक—

प्रेषिनी—

1. मुख्य खान निरीक्षक,
धनबाद-826001
2. प्रादेशिक खान निरीक्षक,
.....

महोदय,

मैं, ... (स्वामी) के बचाव स्टेशन के अधीक्षक की नियुक्ति/नियुक्ति की समाप्ति* के बारे में निम्नलिखित विनिर्दिष्टां भेज रहा हूँ।

1. अधीक्षक का नाम
2. अर्हताएं (क) प्रथम वर्ग प्रबंधक (कोयला धातुपद*) प्रमाणपत्र सं०
(ख) बचाव और प्रत्युद्धारण कार्य करने की सक्षमता की प्रमाणपत्र की संख्या
(ग) प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र सं०
3. भार ग्रहण करने भार मुक्त होने की तारीख
4. अधीक्षक का पता

भवदीय,

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

स्वामी

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

प्ररूप 2

[नियम 11(6) देखिए]

दुर्घटना की सूचना

प्रेषक—

प्रेषिती—

1. मुख्य खान निरीक्षक,
धनबाद-826001
2. प्रादेशिक खान निरीक्षक,
.....

महोदय,

मैं, ... (स्वामी) की/के* खान बचाव स्टेशन बचाव* कमरे में की दुर्घटना के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां भेज रहा हूँ ।

1. खान/बचाव स्टेशन/बचाव कमरे की स्थिति	स्वामी का नाम और डाक पता	ग्राम डाक खाना, पुलिस स्टेशन, उप-मंडल (तालुका) जिला, राज्य, पिनकोड
2. दुर्घटना की तारीख और समय	खान/बचाव स्टेशन/बचाव कमरे में दुर्घटना का स्थान और अवस्थान	व्यक्तियों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गई जो गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए
3. दुर्घटना का कारण और वर्णन		
4. मृत व्यक्तियों के नाम	नियोजन की प्रकृति	आयु
क्षतिग्रस्त	स्त्री/पुरुष	क्षति की प्रकृति/मृत्यु का कारण

स्थान

भवदीय,

तारीख

हस्ताक्षर

पदनाम—प्रबंधक/अधीक्षक

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

अनुसूची 1

[नियम 11(1) देखिए]

बचाव स्टेशन पर रखे जाने वाले उपस्कर

क. श्वसन उपस्कर ||

सं०

1. दो घंटे स्वयंपूर्ण श्वसन साधित्र
2. अल्पावधि स्वयंपूर्ण श्वसन साधित्र
3. एम्सॉबेन्ट चार्जक

54

8

2,000

ख. पुनरुज्जीवन साधित्र

1. पुनरुज्जीवन साधित्र
2. अतिरिक्त सिलिंडर

12

8

ग. ट्यूब साधित्र

(क) धौंकनी सहित वायु गैसें

2

(ख) अतिरिक्त टोप

2

(ग) पंखे सहित वायु गैसें

1

घ. सहायक उपस्कर

1. आक्सीजन सिलिंडर

12

2. (क) आक्सीजन पम्प (हस्त चालित)

4

(ख) आक्सीजन पम्प (शक्ति चालित)

2

3. बाँबिन मीटर

2

4. प्रवाहमापी

2

5. सार्विक परीक्षक	2	ठ. अग्निशामक उपस्कर	
6. दाब गेज परीक्षण युक्ति	2	1. कार्बन डाइआक्साइड अग्निशामक	4
7. आक्सीजन परीक्षण साधित्र	1	2. फोम रूपी अग्निशामक	10
8. साधित्र परीक्षण औजार किट	8	3. फोम चार्ज	50
अ. लैम्प आदि और गैस परीक्षण युक्ति		4. ट्रेलर पम्प	1
1. अनुरक्षण किट सहित ज्वाला निरापद लैम्प	8	5. माल लाने ले जाने के लिए ट्रेलर	1
2. विद्युत निरापद-लैम्प		6. होज पाइप	300 मीटर
(क) बेल्ट सहित कैप लैम्प	60	7. साइरेन (हस्त प्रचालित)	1
(ख) कैप लैम्प के लिए चार्जकारी रैक, चार्जक सहित	1	8. साइरेन (शक्ति प्रचालित)	1
ब. गैस संसूचक		9. बी एच एफ उपस्कर	2
1. मेथेन संसूचक, बैटरी चार्जक सहित, यदि अपेक्षित है	3	10. बचाव गाड़ियाँ	2
2. सह-संसूचक	3	11. स्टेशन बैगन	2
3. सह-ट्यूट	30		
4. बहुगैस संसूचक	2	अनुसूची 2	
छ. वायु और तापक्रम मापन उपकरण		[अध्याय 31(2) देखिए]	
1. पिच्छ पवन वेग मापी	1	बचाव कमरे पर रखे जाने वाले उपस्कर	
2. बेलोमीटर	1	क. श्वसन साधित्र	सं०
3. डाक्टरी थर्मामीटर	2	1. दो घंटे स्वयंपूर्ण श्वसन साधित्र	15
4. स्प्रिंग चक्करदार मात्रतामापी या साइकोमीटर	2	2. अल्पावधि स्वयंपूर्ण श्वसन साधित्र	2
ज. टेलीफोन		3. एक्सटर्नल चार्ज	50
1. जोनोफोन	2	ख. पुनरुज्जीवन साधित्र	
(अ) प्रकीर्ण उपस्कर		1. पुनरुज्जीवन साधित्र	4
1. कार बैटरियों के लिए चार्जकारी रैक	1	2. अतिरिक्त सिलिंडर	4
2. स्टाप वाच	3	ग. द्युब साधित्र	
3. वर्षामापी	1	(क) धौकनी सहित वायु रूपी	2
4. जीब रेखा (साइकल लाइन)	1	(ख) अतिरिक्त टोप	2
	रोस	(ग) पंखा सहित वायु रूपी	1
5. निर्वेशक रेखा	1000 मीटर	घ. सहायक उपस्कर	
6. निर्वाचित प्रतिदर्शी मली	10	1. आक्सीजन सिलिंडर	4
द. सुरक्षा और प्राथमिक उपचार उपस्कर		2. आक्सीजन पम्प (हस्त चालित)	2
1. सुरक्षा टोप	60	3. प्रवाहमापी	1
2. सुरक्षा बेल्ट	6	4. सार्विक परीक्षक	1
3. प्राथमिक उपचार बक्स	10	5. दाब गेज परीक्षण युक्ति	1
4. कम्बल	15	6. साधित्र परीक्षण औजार किट	2
5. मुड़वां स्ट्रेचर	12	ड. लैम्प आदि और गैस परीक्षण युक्ति	
		1. अनुरक्षण औजार किट सहित ज्वाला निरापद लैम्प	

2. विद्युत निरापद लैम्प	
(क) बेल्ट सहित कैप लैम्प	15
(ख) कैप लैम्प के लिए चार्जकारी रैक, चार्जक सहित	1
च. गैस संसूचक	
1. मेथन संसूचक, बैटरी चार्जक सहित, यदि अपेक्षित है	3
2. सह-संसूचक	2
3. सह-ट्यूब	20
4. बहुगैस संसूचक	1
छ. वायु और तापक्रम मापन उपकरण	
1. डाक्टरी थर्मामीटर	1
2. सिलंग चक्करदार आर्द्रतामापी या साइक्रोमीटर	
ज. टेलीफोन	
1. जेनोफोन	1
झ. सुरक्षा और प्राथमिक उपचार उपस्कर	
1. सुरक्षा टोप	15
2. सुरक्षा बेल्ट	4
3. प्राथमिक उपचार बक्स	4
4. कम्बल	4
5. मुड़बां स्ट्रेचर	4
ञ. अग्निशामक उपस्कर	
1. फोम रूपी अग्निशामक	2
2. फोम चार्ज	20
ट. प्रकीर्ण	
1. जीव रेखा (लाइफ लाइन)	1 रोल
2. निर्देशक रेखा	1000 मीटर
3. निर्वाचित प्रतिदर्शी नली	10
ठ. परिवहन व्यवस्था	
1. बचाव गाड़ियां	1

अनुसूची 3

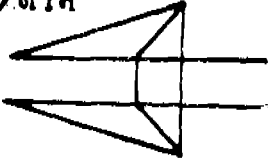
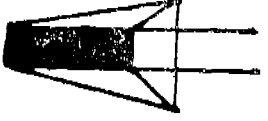
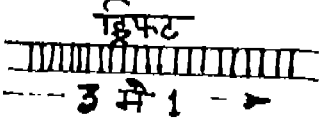
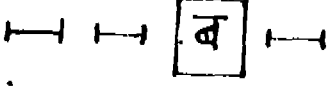
[नियम 11 (5) देखिए]

श्वसन साधित, प्रवाहमापी, आक्सीजन आदिका समंजन और परीक्षण

1. प्रत्येक श्वसन साधित की परीक्षा नीचे पैरा 2 में विनिर्दिष्ट रीति में हर मास या ऐसे थोड़े-थोड़े अंतरालों पर अच्छी प्रकार की जाएगी जैसे श्वसन साधित विनिर्माता द्वारा सिफारिश की जाए।

2. (i) साधित की परीक्षा उसकी साधारण दशा के बारे में की जाएगी और हर ताजुक और नष्ट होने वाले भाग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (ii) साधित की परीक्षा इस दृष्टि से की जाएगी कि वह रिमता तो नहीं है। यदि कोई रिमन दिखाई पड़े तो साधित उपयोग के लिए अनु-रक्षित समझा जाएगा।
- (iii) वह दबाव, जिस पर कोई स्वचालित रिलीफ वाल्व निस्सारित होता है, मापा जाएगा और इस प्रकार की अपेक्षा की जाने पर वह समंजित किया जाएगा जिससे कि वह विनिर्माता की सिफारिशों की सीमाओं के भीतर परिचालित किया जा सके।
- (iv) आक्सीजन सिलिंडर में दबाव मापा जाएगा।
- (v) आक्सीजन के परिवहन की दर प्रवाहमापी/साविक परीक्षक द्वारा मापी जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो सप्लाय कम करने वाला वाल्व विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रवाह की दर पर आक्सीजन की सप्लाय करने के लिए समंजित किया जाएगा। ऐसे मापों और समंजनों का अभिलेख पृष्ठबद्ध रजिस्टर में रखा जाएगा।
- (vi) यदि किसी साधित में स्वचालित डिमांड वाल्व की व्यवस्था की गई है तो वह दबाव जिस पर यह परिचालित होता है, मापा जाएगा और अपेक्षा की जाने पर समंजित किया जाएगा जिससे कि वह विनिर्माता की सिफारिशों की सीमाओं के भीतर परिचालित किया जा सके।
- (vii) यदि विनिर्माता ने किन्हीं अन्य परीक्षणों और समंजनों की सिफारिश की है तो वे भी दिए जाएंगे और उनका अभिलेख पृष्ठबद्ध रजिस्टर में रखा जाएगा।
3. श्वसन साधित में उपयोग के लिए सप्लाय की गई आक्सीजन की शुद्धता की परीक्षा की जाएगी। कोई भी ऐसी आक्सीजन जिसमें एक प्रतिशत से अधिक की अनुशुद्धता हो प्रयुक्त नहीं की जाएगी।
4. प्रवाहमापी की शुद्धता की परीक्षा हर छह मास में कम से कम एक बार की जाएगी और हर परीक्षण के परिणाम अभिलिखित किए जाएंगे।
5. जहां कोई विनिर्दिष्टियां इस अनुसूची के अनुसार अभिलिखित किए जाते हैं, वहां वे, यथास्थिति, बचाव स्टेशन या बचाव कमरे पर रखी पृष्ठबद्ध रजिस्टर में तत्काल दर्ज की जाएंगी और परीक्षण करने वाला व्यक्ति तारीख डाल कर उन पर हस्ताक्षर करेगा और अधीक्षक प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

अनुसूची-4
(नियम 18 देखिए)
चिह्नों की संहिता

नाम	प्रतीक	टिप्पणियाँ
कूपक	 सं०/अ० महाराष्ट्र द्वारा	
परित्यक्त कूपक	 सं०/अ० महाराष्ट्र द्वारा	
आनति	 सं०/अ०	
परित्यक्त आनति	 सं०/अ०	
स्तम्भ और गैलरी		
ट्रिफ्ट	 ट्रिफ्ट उ से 1	ग्राइयन्ट को काले रंग में दर्शित करते हुए बरन्ट सिग्ना में
जल पाइप लाइन और बम्बा		नीले रंग में (बम्बे की अवस्थिति का चोतक है।

अनुसूची-4—जारी

नाम	प्रतीक	टिप्पणियाँ
प्रमुख कूपक स्टेपल शीट ।		लाल रंग में, सभी इन्स्टों की ऊपर और नीचे की छुटियाँ बताई जाए लाल रंग में
परिष्कृत प्रमुख कूपक		
डाइक या अन्य अंतर्बोधन		हरे रंग में
भूगत बिन्दु तल		नीले रंग में
जल बाध		"ज" अक्षर नीले रंग में लिखा जाए
एयर क्रासिंग		अंतर्ग्रहण तीर नीले रंग में और प्रतिगमन तीर लाल रंग में
वरवाजे		लाल रंग में "डी" का बाप वरवाजा खुलने की दिशा अपवर्णित करता है
विस्फोटन सह एयर क्रासिंग		अंतर्ग्रहण तीर नीले रंग में और प्रतिगमन तीर लाल रंग में
गोफ		
ईट/बल्लर या कंक्रीट निर्मित संवाहन रोक (स्टोपिंग)		लाल रंग में

अनुसूची-4—जारी

नाम	प्रतीक	टिप्पणियाँ
वायु प्रवाह की दिशा		अंतर्ग्रहण वायु मार्ग नीले रंग में और प्रतिगमन वायु मार्ग लाल रंग में
टेलीफोन	॥०॥ सतह पर 	
अग्निरोधक बांध सील या रोक	॥१॥ भूमि के नीचे 	
विस्फोटन सह रोक		लाल रंग में
रेगुलेटर		लाल रंग में
सहायक पंखा/ब्लूअर पंखा		लाल रंग में
भूमि के नीचे प्राथमिक उपस्कार केन्द्र		लाल रंग में मोटा फतस का निशान
इंजन घर या कमरा	इंघ	
प्रारंभिक सूर्योदय रोक		लाल रंग में
पम्पिंग स्टेशन		"प" अक्षर नीले रंग में लिखा जाए
बालू संचित क्षेत्र		
अग्निशामक/दमकल केन्द्र		लाल रंग में

अनुसूची 5

[निधम 20(1) देखिए]

स्वास्थ्य परीक्षा

1. बचाव और प्रत्युद्धरण कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चयन किया गया हर व्यक्ति और हर एक सक्रिय बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति के स्वास्थ्य की अच्छी तरह जांच की जाएगी। निम्नलिखित अपेक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा :—

- (1) व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होगा और उसमें कोई शारीरिक दोष नहीं होगा।
- (2) अंगों की बनावट और उनका विकास अच्छा होगा और सभी अंग के कार्य सामान्य सीमाओं के भीतर होंगे।
- (3) (क) चश्मे के बिना दूर की नजर का स्तर-मान निम्नलिखित से कम नहीं होगा :
 - (i) अच्छी आंख 6/6
 - (ii) खराब आंख 6/9
- (ख) आंखों में कोई भेंगापन नहीं होगा।
- (ग) आंखों का कोई जैविक रोग नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष की अवधि के भीतर दूर की नजर पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- (घ) व्यक्ति अक्षिदोलन से पीड़ित नहीं होगा।
- (4) सुनने की शक्ति अच्छी होगी। व्यक्ति तीन मीटर की दूरी से बातचीत सुन सकता हो।

- (5) (क) श्वसन तंत्र स्वस्थ होगा और चिरकारी स्वरभाव, श्वसनों और फुफुसी रोग से रास मुक्त होगा।
- (ख) दो वर्ष में एक बार एकसरे परीक्षा की जाएगी और फुफुसी रोग के कोई लक्षण नहीं होंगे।
- (ग) पूर्ण प्रश्वसन और निःश्वसन के बाद ली गई सीने की नापों का अन्तर 5 सें० मी० से कम नहीं होगा।
- (6) (क) हृदय या बाहिका रोग के कोई लक्षण नहीं होंगे।
- (ख) हृदय की सामान्य धड़कन गति प्रति मिनट 90 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। हल्का परिश्रम करने पर व्यक्ति का सांस न फूलता हो।
- (ग) रक्त दाब मर्करी का 140 मि० मी० सिस्टोलिक और मर्करी का 80 मि० मी० डायस्टोलिक से अधिक नहीं होगा।
- (7) व्यक्ति को हनिया का रोग नहीं होगा।
- (8) व्यक्ति को हाइड्रोसिस का रोग नहीं होगा।
- (9) नाड़ी तंत्र स्वस्थ होगा और मिरगी या कोई अन्य जैविक या हिस्टारिक दौरा या अग्नि की कोई पिछली बिमारी नहीं होगी।
- (10) मसूड़े और दांत स्वस्थ होंगे और संक्रमण रोग से मुक्त होंगे। नकली दांतों वाला व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (11) व्यक्ति का वजन नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा :—

आयु वर्षों में

उंचाई सेंटीमीटर में	18 से 22		23 से 27		28 से 32		33 से 37		38 से 42		43 से 45	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
140—145	41	52	41	53	43	56	43	57	43	58	43	59
146—150	43	54	43	56	44	59	45	60	45	60	45	61
151—155	45	56	46	58	46	62	47	63	47	64	47	64
156—160	48	59	48	61	48	65	50	67	50	67	50	68
161—165	51	62	51	65	51	69	53	70	53	71	53	72
166—170	54	66	54	68	55	73	55	75	56	75	56	76
171—175	58	71	58	73	58	78	60	80	60	80	60	81
176—180	61	75	62	78	62	83	64	85	64	86	64	87
181—185	65	80	65	83	66	88	68	90	68	92	68	93
186—190	69	85	69	89	70	94	72	96	72	97	72	98

- (1) न्यूनतम वजन, किलोग्राम में
- (2) अधिकतम वजन, किलोग्राम में

कृपया ध्यान दें—बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की 12 मास में एक बार पुनः परीक्षा की रण में, स्वास्थ्य योग्यता के स्तरमानों में 10 प्रतिशत तक की घटबढ़ स्वीकार की जा सकती है।

अनुसूची 6

[नियम 27 (1) देखिए]

शिक्षण और अभ्यास कोर्स

भाग-I—प्राथमिक कोर्स

शिक्षण और अभ्यास का कोर्स निम्नलिखित होगा :

(क) शिक्षण—निम्नलिखित विषयों में शिक्षण—

- (i) भूमि के नीचे अग्निशमन की साधारण पद्धतियाँ और अग्नि तथा विस्फोट के पश्चात् खानों का प्रत्युद्धारण;
- (ii) जिस किस्म या किस्मों के श्वसन साधित्र दिए गए हैं उनकी और धूम्र टोप या बैने ही प्रयोजन की पूर्ति करने वाले अन्य साधित्रों की बनावट, उपयोग, परीक्षण, अनुशिक्षण और परीक्षण;
- (iii) व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने के तरीकों और साधित्रों का प्रयोग;
- (iv) खानों में पाई जाने वाली उपाधकर और ज्वलनशील गैसों के गुणधर्म और उनका पता लगाने की पद्धतियाँ;
- (v) अश्वसनीय वायुमण्डल में गैस नमूना लेना;
- (vi) खान रेखांकपठन;
- (vii) इन नियमों के अध्याय 4 और अनुसूची 6 में वर्णित अपेक्षाएँ।

(ख) अभ्यास—श्वसन साधित्र से सज्जित होकर कम से कम बारह अभ्यास और धूम्र टोप या बैने ही प्रयोजन के अन्य साधित्रों से सज्जित होकर कम से कम दो अभ्यास। हर एक अभ्यास ऐसे प्रकल्पित दशा में किया जाएगा जो भूमि के नीचे कार्य करने में सामने आ सकती है और जिसमें ऐसे साधित्रों का उपयोग करना अपेक्षित है, अभ्यास निम्न रूप में किए जाएंगे—

- (क) किसी भी अभ्यास में आठ से अधिक और पाँच से कम पुरुष भाग नहीं लेंगे।
- (ख) श्वसन साधित्र के साथ अभ्यास मामूली वायु में किया जाएगा और धीरे-धीरे तब तक चालू रहेगा जब तक कि अभ्यास गरम और अश्वसनीय वायुमण्डल में क्रियान्वित न हो जाए।
- (ग) श्वसन साधित्र लेकर किए जाने वाले अभ्यास में निम्नलिखित संक्रियाएँ भी हैं—
 - (i) रस्सी और घिरनी के माध्यम से 25 किलोग्राम का भार 1.8 मीटर की ऊँचाई तक बार-बार ऊपर खेचना और नीचे करना।

(ii) आधा घंटा तक अच्छी गति से लाना-तार चलना।

(iii) पत्थर, ईंट, बालू के बीरों, ब्रेरीय कपड़े या अन्य सामग्री की अस्थायी रोक बनाना और हटाना, और ऐसे कार्य के लिए अपेक्षित सामग्री को कम से कम दस मीटर की दूरी तक लेकर चलना।

(iv) परिष्कृत रथान से कच्चा इस प्रकार हटाना मानो छत गिरने पर दर्वा से कचरा साफ किया जा रहा हो।

(v) काष्ठ या अन्य छत आलंब लगाना।

(vi) एक जीवित व्यक्ति या 70 किलोग्राम वजन के एक कृत्रिम पिंड को गोदारी की पूर्ण लम्बाई तक स्टेचर पर लेकर चलना, खींचना या ठेलना।

(vii) संचार की तेजी से स्थापना।

भाग-II

दक्ष होने के पश्चात् अभ्यास और शिक्षण

क. शिक्षण—भाग 1 में सम्मिलित सभी विषयों का पुनरीक्षण।

ख. अभ्यास—हर एक कर्नलैंडर वर्ष में श्वसन साधित्र के साथ कम से कम आठ अभ्यास जिनमें से कम से कम चार खान में और शेष बचाव स्टेशन पर प्रशिक्षण गैलरी में गरम और अश्वसनीय वायुमण्डल में किए जाएंगे। धामाध्य, इन अभ्यासों का समान रूप से वितरण इस प्रकार किया जाए कि क्रमवर्ती दो अभ्यासों के बीच का फासला चार मास से अधिक न हो।

परन्तु यदि कोई बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति चार मास के बाद एक पुनश्चर्या अभ्यास करने में अक्षम रहता है तो खनन परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष अपना यह समाधान करने पर कि अभ्यास विधिमान्य कारणों से बन्द किया गया था उसे नियम 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पाँच क्रमवर्ती दिन का विशेष पुनश्चर्या अभ्यास और शिक्षण कोर्स पूरा करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है कोर्स के पूरा करने पर वह पुनः सक्रिय हो जाएगा।

टिप्पण—(i) ऐसे अवसर के सिवाय जब अनुदेशक की राय में सुरक्षा के हित में अभ्यास की अवधि को कम करना वांछनीय हो, सभी अभ्यास कम से कम दो घंटे तक चलेंगे। कुछ अभ्यासों में श्वसन साधित्र दो घंटे की अवधि के लिए लगातार पहने जाएंगे।

(ii) अनुसूची 7 में उपवर्णित संकेतकों की संहिता का उपयोग परीक्षण में किया जाएगा।

अनुसूची 7

[निवम 32 (3) देखिए]

संकेतकों की संहिता

एक बार छूट	“कष्ट” या “सहायता आवश्यक”; (यदि आलूवान का कोई उत्तर न दिया जाए तो “कष्ट” समझा जाएगा)
दो बार छूट	रुके
तीन बार छूट	वापस जाएं
चार बार छूट	आगे बढ़ें
पांच बार छूट	ध्यान अक्षित करना।

[सं० 5-65012/1/81-एम०।]

एल०के० नारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 1984

G.S.R. 492(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clauses (r) to (t) and clauses (v) and (w) of section 58 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is hereby published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is also given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of the period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

CHAPTER I

Preliminary

1. Short Title, Application and Commencement.—(1) These Rules may be called the Mines Rescue Rules, 1984.
- (2) They shall come into force on such date as the Central Government may by notification in the Official Gazette appoint in this behalf.
2. Definition.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—
 - (a) “Act” means the Mines Act, 1952;
 - (b) “Board of Mining Examinations” means the Board of Mining Examinations constituted under the Coal Mines Regulations, 1957 or

the Matalliferous Mines Regulations, 1961 as the case may be.

- (c) “Chief Inspector” means the Chief Inspector of Mines appointed under section 5 of the Act ;
- (d) “Foreman’s Certificate” means the Certificate granted by the Board of Mining Examination;
- (e) “Inspector” means an Inspector of Mines appointed under section 5 of the Act;
- (f) “Manager’s Certificate” means the certificate granted by the Board of Mining Examinations ;
- (g) “Ordinarily employed” with reference to any mine means the average number of persons employed per day in that mine during the proceeding calendar year obtained by dividing the number of man-days worked by the number of actual working days;
- (h) “Overman’s Certificate” means the certificate granted by the Board of Mining Examination;
- (i) “Regional Inspector” means the Inspector of Mines incharge of—
 - (i) the region or local area or areas in which the mine is situated; or
 - (ii) the group or class of mines to which the mine belongs and over which he exercises the powers under the Act;
- (j) “rescue trained person” means a person who holds a valid first-aid certificate of the standard of the St. John Ambulance Association (India), and has undergone the course of instructions and practices as set out in Part I of Schedule VI and is undergoing the course of instructions and practices as set out in Part II of Schedule VI and who has not been suspended or declared unsuitable under rules 22 and 23;
- (k) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
- (l) “Superintendent” means a superintendent of rescue station.

CHAPTER II

Rescue Station and Rescue Rooms

3. Establishment and Location of Rescue Station.—(1) The Chief Inspector may, by an order in writing, require the Owner of a mine or a group of mines to establish and maintain one or more rescue station or stations at such place or places and in accordance with such design and specifications as he may specify in the order. The order shall also specify the names of mines to be served by such Rescue Station :

Provided that if in a mining area there are mines belonging to more than one Owner, the Chief Inspector may, under such conditions as he may specify

in writing, permit two or more Owners to jointly establish a common Rescue Station :

Provided further that all the rescue stations functioning as on the date of coming into force of these rules shall continue to function till such time as alternative arrangements in accordance with the provisions of these rules are made.

(2) At every rescue station there shall be appointed one Superintendent and at least two Instructors and also, there shall be maintained a rescue brigade of not less than eighteen rescue trained persons.

4. Functions of Rescue Stations.—The functions of Rescue Station shall include,

- (i) imparting initial training in rescue work;
- (ii) imparting refresher training to rescue trained persons;
- (iii) providing support by its own rescue teams and equipment in case of major accidents or long-lasting rescue and recovery operation;
- (iv) carrying out the functions of rescue room in respect of mines exempted under sub-rule (3) of rule 5.

5. Establishment and location of Rescue Rooms.—

(1) At every mine where more than 100 persons are ordinarily employed belowground there shall be provided on surface close to mine entrance a rescue room :

Provided that it may be sufficient to provide one rescue room for a number of mines belonging to the same owner if—

- (a) the total number of persons employed in belowground workings of all such mines does not exceed 500; and
- (b) the mines are situated within a radius of 10 kms. from, and connected by road with, the rescue room :

Provided further that, the Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, relax the requirement of clause (a) of the above proviso in respect of a rescue room serving a group of mines belonging to the same owner and permit the same to additionally discharge in respect of the mines served, the functions of a rescue station, excepting the function of imparting initial training in rescue work as laid down in rule 4; if such rescue room is :—

- (a) equipped with requisite additional rescue apparatus including at least 15 extra sets of two-hour self-contained breathing apparatus; and
- (b) placed under the charge of a person holding the qualifications prescribed under sub-rule (2) of rule 8 and at least five rescue trained persons of whom at least one shall hold the qualifications prescribed under sub-rule (1) of rule 6, are posted thereat.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in the case of coal mines having a fiery

seam or gassy seam of second or third degree, the Chief Inspector may, for reasons to be recorded in writing, require the provision of a rescue room irrespective of the number of persons ordinarily employed therein.

(3) The Chief Inspector may grant exemption from the provision of a rescue room at a mine which is located within a radius of 10 kilometres from a rescue station;

(4) At each rescue room, there shall be appointed one rescue room in-charge and such number of rescue trained persons as may be necessary and at least one rescue trained person shall always be in attendance at the rescue room.

6. Functions of rescue Room.—Subject to the second proviso to sub-rule (1) of rule 5, rescue room shall provide facilities for the storage, assembly, testing and adjustments of breathing apparatus and other rescue equipment and apparatus and for their speedy transport to mines in the event of emergency.

7. Appointment of Superintendent.—(1) After the coming into force of these rules, no person shall be appointed as Superintendent unless he—

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has at least 5 year's practical experience of underground work in mines, and,
- (iii) is a holder of First Class Managers Certificate ;

Provided that the First Class Manager's Certificate shall be of a type not restricted to opencast workings.

(2) The Owner shall, within seven days from the date of assumption or relinquishment of charge by the Superintendent, inform the Chief Inspector and the Regional Inspector in Form I.

(3) In the absence of the superintendent, the senior-most Instructor shall be in-charge of the rescue station :

Provided that when the absence of the Superintendent exceeds 60 days, the Owner shall appoint another Superintendent.

8. Appointment of Instructors.—(1) After the coming into force of these rules no person shall be appointed as Instructor unless he—

- (i) is a rescue trained person ;
- (ii) has at least 3 years' practical experience of underground work in mines ; and
- (iii) is holder of a Manager's Certificate :

Provided that Manager's Certificate shall be of a type not restricted to opencast workings.

9. Rescue brigade at rescue stations.—(1) After coming into force of these rules the rescue trained persons for a rescue brigade shall be selected, from amongst the rescue trained persons employed in mines served by the rescue station, by the Superintendent in consultation with the managers of the mines.

(2) A person selected under sub-rule (1) shall be posted for not less than one year and not more than two years in a rescue brigade.

(3) Every rescue trained person posted in a rescue brigade, shall be entitled to receive the same wages which he was receiving while employed at the mine.

10. Appointment of Rescue Room In-charge.—The rescue room in-charge shall—

- (i) be a rescue trained person ;
- (ii) have at least 3 years' practical experience of underground work in mines ; and
- (iii) be holder of either a Manager's Certificate or an Overman's Certificate or a Foreman's Certificate :

Provided that the Foreman's Certificate shall be of a type not restricted to opencast workings.

11. Equipment.—(1) At every rescue station there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as specified in Schedule I.

(2) At every rescue room there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as specified in Schedule II.

(3) Self-contained breathing apparatus provided at a rescue station and that at rescue rooms under it shall be of the same type and make.

(4) Of the apparatus and equipments provided in pursuance of sub-rules (1) and (2) above, the following shall be of a type or standard approved by the Chief Inspector —

- (a) breathing apparatus ;
- (b) smoke helmets and apparatus serving the same purpose ;
- (c) reviving apparatus ;
- (d) electric safety lamps and flame safety lamps ; and
- (e) gas detectors ;

and no such apparatus or equipment shall be provided or used at any rescue room or rescue station or mine if it is not of a type or standard approved by the Chief Inspector.

(5) All breathing apparatus and every flow meter shall be adjusted and tested periodically, and the purity of oxygen for use in breathing apparatus shall be tested. The tests shall be made in the manner prescribed in Schedule III.

(6) In case of an accident in a mine of the type specified in section 23 of the Act, arising out of the use of any rescue apparatus, a written report thereof shall be sent within 24 hours by the manager of the mine to the Chief Inspector and Regional Inspector in Form-II :

Provided that if any such accident take place at any rescue station or rescue room, a similar report shall be sent by the Superintendent.

CHAPTER III

Duties and responsibilities of Superintendents etc. employed at rescue station and rescue room :

12. Duties and responsibilities of Superintendent.—

(1) The Superintendent shall be in overall control of the rescue station and the rescue rooms served by it.

(2) The Superintendent shall ensure that all the rescue equipment and apparatus kept at rescue station and rescue rooms under his control are maintained in good working order.

(3) The Superintendent shall ensure that adequate stock of spare parts and supplies are kept for maintaining rescue equipment and apparatus in good working order.

(4) The Superintendent shall ensure that all rescue equipment and apparatus kept at rescue station and rescue rooms under his control are inspected by instructors at specified intervals and the prescribed tests and adjustments made. He shall countersign the records maintained under sub-rule (1) of rule 13 :

Provided that, in respect of a rescue room of a type specified under the second proviso to sub-rule (1) of rule 5, the Superintendent may get the above work done through the Officer-in charge thereof.

(5) The Superintendent shall ensure that persons selected for initial training and those undergoing refresher training receive the prescribed course of instructions and practices.

(6) The Superintendent shall make periodical inspections of rescue room under his control to ensure compliance with the provisions of these rules.

(7) In the event of an emergency at a mine, Superintendent shall perform such rescue and recovery work as may be assigned to him by the manager of the mine or in his absence by the principal official present at the surface.

(8) The Superintendent shall maintain in a bound page book a diary and shall record therein the result of each of his inspections and also the action taken by him to rectify the defects observed during inspection.

13. Duties of Instructors.—(1) Under the direction of the Superintendent the Instructor shall—

(a) Impart course of instructions and practices to persons selected for training in rescue work as well as to rescue trained persons and maintain a record thereof ; and

(b) make inspection, test and adjustment of rescue equipment and apparatus and maintain a record thereof.

(2) In the event of an emergency at a mine, Instructors shall perform such rescue and recovery work as may be assigned by the manager of the mine or in his absence by the principal official present at the surface.

(3) Instructor shall not leave the rescue station without obtaining permission from the Superintendent.

14. Duties of active rescue trained persons posted at rescue station.—The rescue trained persons shall :—

- (a) obey all lawful orders of and directions issued by Superintendent or Instructor and assist them in the discharge of their functions ;
- (b) attend to telephone and wireless calls ;
- (b) attend to telephone and wireless calls; condition ;
- (d) perform rescue and recovery work in mines ;
- (e) not leave Rescue Station without obtaining permission from the Superintendent.

15. Duties and responsibilities of rescue room In-charge.—Every Rescue Room In-charge shall :—

- (a) display prominently a list of mines served by the rescue room ;
- (b) maintain a proper record of all rescue equipment and apparatus kept at the rescue room;
- (c) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue room in good order and ready for immediate use ;
- (d) maintain a proper record of inspections of equipment and apparatus kept at the rescue room;
- (e) not allow any unauthorised person to enter into or permit any unauthorised person to take out any apparatus or equipment from the rescue room.

16. Duties of rescue room attendant.—Every rescue room attendant shall :—

- (a) not leave the rescue room until relieved by a substitute ;
- (b) not allow any unauthorised person to enter in or to take out any apparatus or equipment from the rescue room;
- (c) attend to telephone calls and maintain a record thereof ;
- (d) maintain the rescue room in neat and tidy condition ;
- (e) obey all lawful orders and direction of the rescue room In-charge and assist him in discharge of his functions.

CHAPTER IV

Organisation and Equipment in Mines

17. Telephone Communication.—Every mine shall be in telephonic communication with the rescue room and rescue station serving the mine and wherever practicable, wireless communication shall also be provided :

Provided that where there is no telephonic communication system, the Chief Inspector may approve, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify any other means of communication.

18. Rescue tracings.—There shall be kept at every mine having workings belowground, in a form suitable for use by rescue workers, a sufficient number of clear and legible tracings, not being less than three, of the workings of the mine up to a date not more than three months previously, showing the system of ventilation in the mine, and in particular, the general, direction of air-current, every point where the quantity of air is measured, every air-crossing, ventilation-door stopping, booster fan and any other principal device for regulation and distribution of fair, fire-dams, preparatory stoppings, every fire-fighting equipment, every water-dam with dimensions and other particulars of construction, every pumping, telephone and ambulance station, every room used for storing inflammable material, reserve stations and every haulage and travelling roadway. The signs used in these tracings shall be those specified in Schedule IV.

19. Appointment of rescue trained persons in mines, their disposition and accommodation.—(1) The manager of every mine where more than 100 persons are ordinarily employed belowground, shall ensure that from amongst the persons employed, persons on a scale of one man for every 50 persons or part thereof employed belowground upto an employment of 1000 persons and one man for every 100 persons or part thereof, thereafter, are rescue trained persons :

Provided that the minimum number of rescue trained persons at a mine shall be such as to enable compliance with the provision of sub-rule (4).

(2) As far as practicable, it shall be arranged that all rescue trained persons are equally distributed over the various working shifts. An up-to-date list of distribution of such persons in every shift shall be posted at the notice board in the office of the mine.

(3) All rescue trained persons shall be provided residential accommodation near the mine entrance.

(4) The manager shall ensure that at least five rescue trained persons are readily available on surface at any time.

(5) Effective bell or other arrangements, approved by the Regional Inspector, shall be provided for immediate summoning of rescue trained persons.

20. Selection of persons for training in rescue work.—(1) No person shall be trained in rescue work, unless—

- (i) he is between 21 and 31 years of age and holds a valid First-aid certificate of the standard of the St. John Ambulance Association (India) ;
- (ii) the manager of the mine where the person is employed certifies in writing that he has had sufficient underground experience for the purpose of rescue work ;
- (iii) he is certified by a qualified medical practitioner, after examination in accordance with Schedule V, to be free from any organic disease or weakness and to be fit for undertaking rescue work; and
- (iv) he is considered by the Superintendent of Rescue Station, after such examination and

interview as he considers necessary, to be suitable for rescue work.

(2) A medical officer of a mine whom the Superintendent of the rescue station considers suitable and useful, may be trained in rescue work.

21. Instructions and Practices.—(1) (a) Every person selected for training in rescue work shall undergo the course of instructions and practices set out in Part I of Schedule VI, and on passing the examination conducted by the Board of Mining Examinations he shall be competent to undertake rescue and recovery work :

Provided that, a person who had already been certified as efficient by Superintendent of a Rescue Station before coming into force of these rules and had continued to remain active shall be deemed to be competent under this rule.

(b) Rescue trained persons shall undergo practices and receive instructions as set out in Part II of Schedule VI.

(2) A record shall be kept at every rescue station of all persons undergoing practices or receiving instructions. The record shall contain :—

- (i) the date and the character of each practice ;
- (ii) the condition of each man after the practice, and if anything abnormal was observed in his condition, whether it was due to a defect of the apparatus or to the man himself ; and
- (iii) any other relevant information.

22. Medical examination etc. of rescue trained persons.—(1) Every rescue trained person shall be re-examined once at least in every twelve months by a qualified medical practitioner in accordance with Schedule V, and if he is not found fit he shall cease to be a rescue trained person with effect from the date on which he is declared medically unfit.

(2) On and from the 1st January, 1988, persons on attaining the age of 45 years shall cease to be rescue trained person :

Provided that this sub-rule shall not apply to the members of the rescue brigade appointed under the Coal Mines Rescue Rules, 1959.

23. Suspension of rescue trained person's certificate.—If a rescue trained person refuses to undertake or is found to be incompetent or negligent in rescue or recovery work, the Superintendent or the owner, agent or manager of the mine, as the case may be, shall report the matter in writing to the Regional Inspector for suspension or cancellation of the certificate of such person.

CHAPTER V

Conduct of Rescue Work

24. Duties of Manager etc. in emergency.—(1) On receiving information of any emergency likely to require the services of a rescue team, the manager, or in

his absence the Principal Official present at the surface, shall immediately—

- (a) inform the rescue room for necessary assistance ;
- (b) summon rescue trained person employed in the mine ;
- (c) inform the owner, agent or manager of nearby mines to make available the services of rescue trained persons employed therein, if so required ;
- (d) inform the rescue station about the nature of the occurrence stating whether assistance would be needed from the rescue station ;
- (e) summon medical assistance ; and
- (f) send information of the occurrence to the Regional Inspector.

(2) All rescue and recovery work at a mine shall be conducted under the overall control, direction and supervision of the manager of the mine or in his absence by the principal official present at the surface :

Provided that in the event of a major emergency, such as an ignition, explosion, big underground fire or an accident involving a number of persons, the manager or the principal official shall, in taking decisions regarding rescue and recovery operations, take guidance from a group consisting of a Senior Official of the management, a representative each from the Directorate-General of Mines Safety, concerned rescue station and the recognised Union of the Workers, so however that he must take necessary decisions and direct the operations as the situation warrants, without waiting for the constitution or deliberations of the said group.

25. Accommodation at the mine for persons engaged in rescue work.—Whenever rescue trained persons are engaged at a mine except for practice purposes, there shall be provided at the mine suitable accommodation for the storage and charging of apparatus required for carrying out rescue or recovery work at the mine and for the use of rescue trained persons who may be engaged in such work. Such accommodation shall be situated at convenient place near the entrance in use, and shall be properly ventilated and lighted. Adequate quantity of cool and wholesome drinking water shall be provided at such accommodation ; and proper canteen facilities shall also be provided for the rescue workers.

26. Entry into mines for rescue or recovery operations.—(1) No person shall be allowed to enter a mine or part thereof which is unsafe, for the purpose of engaging in rescue or recovery operations, unless authorised by the manager, or in his absence by the principal official of the mine present at the surface. Only rescue trained persons shall be permitted to enter the mine for the purpose of using self-contained breathing apparatus.

(2) During the progress of such operation, a person or persons shall be stationed at the entrances to the mine and shall keep a written record of all persons entering and leaving the mine, and the time thereof.

27. Fresh air bases.—(1) As soon as possible, a base or bases shall be established in fresh air, as near to the irrespirable zone or zones as safety permits. Every such base shall, if possible, be connected by telephone—

- (i) if the base is underground, to the surface; or
- (ii) if the base is on the surface, to the shaft bottom.

(2) Except in cases where the delay involved may result in danger to life, rescue trained persons shall not proceed beyond any place where a base is to be established until there have been stationed at such base—

- (a) two persons, of whom one shall be a qualified medical practitioner if practicable, and other shall be a rescue trained person;
- (b) a spare team with rescue apparatus, ready for immediate service;
- (c) one or more reviving apparatus, oxygen revivers etc.;
- (d) first-aid box and stretcher;
- (e) means of testing for carbon monoxide;
- (f) a hygrometer; and
- (g) two flame safety lamps.

(3) Whenever men are already at work beyond the fresh air base, there shall be stationed at the base, as soon as possible, the persons, apparatus and equipments specified in sub-rule (2).

28. Leader.—Every rescue team engaged in work with breathing apparatus in a mine shall be under a leader who shall be appointed by the Manager, or in his absence the principal official or a person authorised by the Manager.

29. Instructions to leader.—Prior to sending a rescue team underground, the Manager or in his absence the Principal official of the mine present on surface or a person authorised by the manager shall give clear instructions to the leader of the team as to where it shall go and what it shall attempt.

30. Test of apparatus.—Before proceeding below-ground the leader shall test or witness the testing of self-contained breathing apparatus of the team for leakage. No such apparatus shall be used unless it is found safe. He shall check the equipments of his party, and immediately before entering irrespirable atmosphere shall make sure that all breathing apparatuses are working properly.

31. Duties of leader belowground.—(1) The leader shall not engage in manual work. He shall give his attention solely to directing the team and to maintaining its safety. He shall examine the roof and supports during the journey, and if there is any likelihood of fall at any place along the roadway, shall not proceed further until the team has made the place secure.

(2) The leader shall keep the team together and shall not allow any member of the team to stray.

(3) If the atmosphere is clear, the leader shall, when passing the junction of two or more roadways, clearly indicate the route by means of arrow marks in chalk. If the atmosphere is obscure, the leader shall see that a life line is lead-in from the fresh air base, and shall not allow any member of the team to move out of reach of that line; or, if that course is impracticable, he shall not proceed until every roadway branching off from the route is fenced across the whole opening.

(4) When using rescue apparatus, the leader shall carry a watch, shall record the pressure of the compressed oxygen at intervals of 20 minutes or so, and shall commence the return journey in ample time. During travelling, he shall adopt the pace of the slowest member, if any member of the team is in distress, he shall immediately return to the fresh air base with the whole team.

(5) The leader shall not permit any member of the team using breathing apparatus in a mine to remain at work at any one time for a period longer than one and half hours or such other period as may be specified by the Chief Inspector in respect of the breathing apparatus being used.

32. Rescue team members and their duties.—(1) The number of persons in any rescue team using breathing apparatus in a mine shall not be less than five nor more than six, including the leader.

(2) If the type of apparatus admits of it, at least one person in every rescue team shall wear an apparatus with an extension for the supply of oxygen to another person in case of necessity.

(3) Members of rescue team shall, in general, use the signals prescribed in Schedule VII in communicating to one another.

(4) In travelling with rescue apparatus on, every member of the team shall keep the place given to him when numbering off. If the pace is too quick, or if distress is felt, the member shall at once call attention to the fact.

(5) Every member of a rescue team engaged in work with breathing apparatus in a mine shall obey the orders of the leader of the team.

33. Restriction of second spell of work.—No person shall commence a second or subsequent spell of work in irrespirable atmosphere without being examined and found fit by a qualified medical practitioner.

CHAPTER VI

Miscellaneous

34. Obligation of owner, agent, manager in certain situation.—When an emergency arises at a mine, whether served by a rescue room or rescue station or not the owner, agent or manager of the mine may seek assistance or additional assistance as the case may be, from the nearest rescue room or rescue station. In such an event—

- (a) all possible assistance shall be promptly rendered by the rescue room or rescue station approached; and

- (b) the owner of the mine shall pay the full cost of rescue services and facilities borrowed to the owner of the rescue station or rescue room rendering such assistance.

35. General management.—It shall be the responsibility of the Owner to establish, maintain and ensure proper functioning of rescue room or rescue station as required under these rules, to appoint Superintendents, Instructors, Rescue Room In-charges, Rescue Trained Persons, Attendants and to provide necessary rescue equipment and apparatus as may be necessary for compliance with the provisions of these rules.

36. Inspections.—(1) The Chief Inspector or any Inspector may enter, inspect and examine any rescue station, rescue room or any part thereof and make such examination or inquiry as he thinks fit in order to ascertain whether the provisions of these rules and of any orders made thereunder are being complied with.

(2) When the mines served by a rescue station or rescue room fall under the jurisdiction of two or more Regional Inspectors, the Chief Inspector may authorise a Regional Inspector or Inspector for enforcement of these rules in such rescue station or rescue room.

37. Power to relax.—Where in the opinion of the Chief Inspector, the conditions pertaining to a mine or rescue station or rescue room are such as to render compliance with any provisions contained in these rules, unnecessary or impracticable, he may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein grant exemption from the said provisions.

38. Repeal and saving.—(1) The Coal Mines Rescue Rules, 1959 are repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM I

[See rule 7(2)]

Intimation of appointment etc. of Superintendent

From.....

To

1. The Chief Inspector of Mines,
Dhanbad-826 001.
2. The Regional Inspector of Mines,
.....

Sir,

I have to furnish the following particulars in respect of *appointment/termination of appointment of Superintendent at
..... Rescue Station of (Owner).

1. Name of Superintendent.....

2. Qualifications (a) First Class Manager's (Coal/Metalliferous*)
Certificate No.....

(b) Number of Certificate of Competency to undertake Rescue and Recovery work.....

(c) First-aid Certificate No.

3. Date of assumption/relinquishment of charge

4. Address of Superintendent

Your's faithfully,

Signature

Owner

Place :

Date :

*Delete whatever is not applicable.

FORM II

[See Rule 11(6)]

Notice of accident

From.....

To

1. The Chief, Inspector of Mines,
Dhanbad-826 001.

The Regional Inspector of Mines.

Sir,

I have to furnish the following particular of an accident at..... Mines/Rescue/Station/
Rescue Room of.....(Owner)

1. Situation of Mines/Rescue Station/ Rescue Room	Name and postal address of Owner	Village : Post Office Police Station Sub-Division (Taluq) District State Pin :		
2. Date and hour of accident	Place and location of accident/in mine/ Rescue Station/ Rescue room*	Number of persons Killed Serious injured		
3. Cause and description of accident				
4. Name of persons killed.	Nature of employment	age	Sex	Nature of injury/cause of death
Injured				
Yours faithfully,				
Place :		Signature		
Date :		Designation - Manager/Superintendent.		

*Delete whatever is not applicable.

SCHEDULE I

[See Rule 11(1)]

Equipment to be kept at a Rescue Station.

A. BREATHING APPARATUS

	Nos.
1. Two-hours self-contained breathing apparatus	54
2. Short duration self-contained breathing apparatus	6
3. Absorbent charges	2,000

B. RESUSCITATING APPARATUS

1. Resuscitating Apparatus	12
2. Spare cylinders	8

C. TUBE APPARATUS

(a) Pressure type with bellows	2
--	---

438 GI/84-4

(b) Spare helmets	2
(c) Pressure type with fan	1

D. ANCILLARY EQUIPMENT

1. Oxygen cylinders	12
2. (a) Oxygen pump (hand driven)	4
(b) Oxygen pump (Power driven)	2
3. Bobin meter	2
4. Flow meter	2
5. Universal tester	2
6. Pressure gauge testing device	2
7. Oxygen testing apparatus	1
8. Apparatus testing tool kit	8

E. LAMPS ETC. AND GAS TESTING DEVICE

1. Flame safety lamps with maintenance kit	8
2. Electric safety lamps	
(a) Cap lamps with belt	60

(b) Charging rack for cap lamp with charger

1

SCHEDULE II

[See Rule 12(2)]

F. GAS DETECTORS

1. Methane detector, with battery charger, if required.	3
2. Co-detector	3
3. Co-tubes	30
4. Multi-gas detector	2

G. AIR AND TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS :

1. Vane Anemometer.	1
2. Velometer	1
3. Clinical Thermometer	2
4. Sling whirling Hygrometer or psychrometer	2

H. TELEPHONE

1. Genophone	2
------------------------	---

I. MISCELLANEOUS EQUIPMENT

1. Charging Rack for car batteries	1
2. Stop watches	3
3. Rain gauge	1
4. Life line	1 roll
5. Guide line	1000 (meters)
6. Evacuated Sampling tubes	10

J. SAFETY & FIRST-AID EQUIPMENT

1. Safety Helmets	60
2. Safety belts	6
3. First Aid Boxes	10
4. Blankets	15
5. Folding stretchers	12

K. FIRE FIGHTING EQUIPMENT

1. Co 2 fire Extinguishers	4
2. Foam type fire extinguishers	10
3. Foam charges	50
4. Trailer pump	1
5. Trailer for carrying goods	1
6. Hose pipe	300 (meters)
7. Siren (hand operated)	1
8. Siren (Power operated)	1
9. VHF Equipment	2
10. Rescue Vans	2
11. Station Wagons	2

Equipment to be kept at rescue room

Nos.

A. BREATHING APPARATUS .

1. Two-hour self-contained breathing apparatus	15
2. Short duration self-contained breathing apparatus.	2
3. Absorbent charges	50

B. RESUSCITATING APPARATUS

1. Resuscitating apparatus	4
2. Spare cylinder	4

C. TUBE APPARATUS

(a) Pressure type with bellows	2
(b) Spare helmets	2
(c) Pressure type with fan	1

D. ANCILLARY EQUIPMENT

1. Oxygen cylinder	4
2. Oxygen pump (hand driven)	2
3. Flow meter	1
4. Universal tester	1
5. Pressure gauge testing device	1
6. Apparatus testing tool kit	2

E. LAMPS ETC. AND GAS TESTING DEVICE

1. Flame Safety lamps with maintenance tool kit.	4
2. Electric safety lamps	
(a) Cap lamps with belts	15
(b) Charging rack for cap lamps with charger	1

F. GAS DETECTORS

1. Methane detector, with battery charger, if required	2
2. Co-detectors	2
3. Co-tubes	1
4. Multi-gas Detector	2

G. AIR AND TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS.

1. Clinical Thermometer	1
2. Sling whirling hygrometer or psychrometer	2

H. TELEPHONE:

1. Genophone	
------------------------	--

I. SAFETY AND FIRST AID EQUIPMENT

1. Safety Helmets	15
2. Safety Belts	4
3. First aid Box	4

4. Blankets	4
5. Folding stretchers	4
J. FIRE FIGHTING EQUIPMENT . . .	
1. Foam type fire extinguisher	2
2. Foam charges	20
K. MISCELLANEOUS	
1. Lite line	1 roll
2. Guide line	1000 (meters)
3. Evacuated Sampling tubes	10
L. TRANSPORT ARRANGEMENT	
1. Rescue Van	1

SCHEDULE III

Adjustments and test of Breathing Apparatus, Flow-meter, Oxygen etc.

[See rule 11(5)]

1. Every breathing apparatus shall be thoroughly tested once least in every month or at such shorter intervals as may be recommended by the manufacturers of the breathing apparatus in a manner specified in para 2.

2. (i) The apparatus shall be examined in respect of its general condition and particular attention shall be given to every delicate and perishable part.
- (ii) The apparatus shall be tested for leakage. If any leakage is observed, the apparatus shall be deemed unsafe for use.

(iii) The pressure at which any automatic relief valve discharges shall be measured and if required so adjusted as to operate within the limits recommended by the manufacturers.

(iv) The pressure in the oxygen cylinder shall be measured.

(v) The rate of delivery of oxygen shall be measured by a flow-meter [universal Tester]. If required, the reducing valve shall be adjusted to supply oxygen at a rate of flow specified by the manufacturers.

A record of such measurements and adjustments shall be kept in a bound paged register.

(vi) If an apparatus has been provided with an automatic demand valve, the pressure at which it operates shall be measured and if required adjusted as to operate within the limits recommended by the manufacturers.

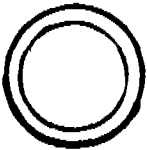
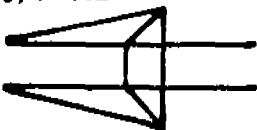
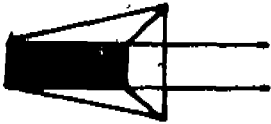
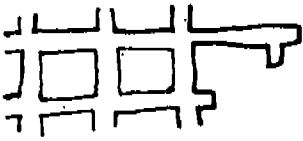
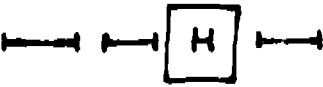
(vii) Other tests and adjustments, if any, as recommended by the manufacturers shall be performed and a record thereof kept in a bound page register.

3. The purity of oxygen supplied for use in breathing apparatus shall be tested. No oxygen which is found to contain more than one per cent of impurities shall be used.

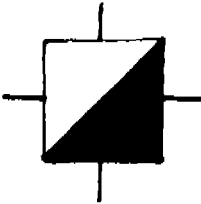
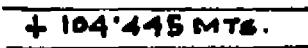
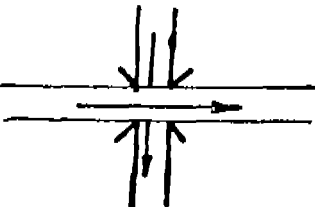
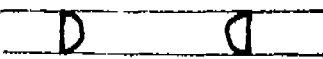
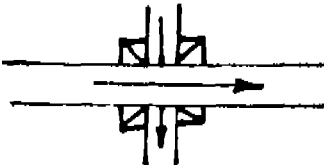
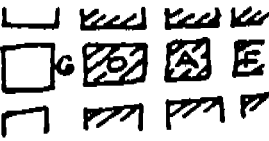
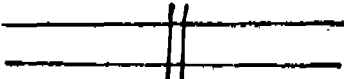
4. Flow-meters shall be tested for accuracy at least once in every six months and the result of every test shall be recorded.

5. Where by this Schedule any particulars are required to be recorded they shall be recorded forthwith in a bound paged register kept at rescue room or rescue stations, as the case may be, and shall be signed and dated by the person making the test and shall be countersigned by the Superintendent.

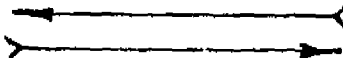
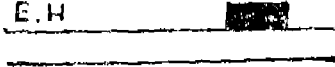
SCHEDULE IV
(See Rule 18)
CODE OF SIGNS

Name	Symbol	Remark
SHAFT	 No./NAME DEPTH DIA	
ABANDONED SHAFT	 No./NAME DEPTH DIA	
INCLINE	No./NAME 	
ABANDONED INCLINE	No./NAME 	
PILLARS AND GALLERIES		
DRIFT	DRIFT 	IN BURNT SIENNA SHOWING GRADIENT IN BLACK
WATER PIPELINE & HYDRANTS		IN BLUE (H INDICATES LOCATION OF HYDRANT)

Schedule IV—Contd.

Name	Symbol	Remark
STAPLE SHAFT		IN RED SHOULD STATE THE DISTANCES UP AND DOWN TO ALL INSETS
ABANDONED STAPLE SHAFT		IN RED
DYKE OR OTHER INTRUSION		IN GREEN
UNDERGROUND SPOT LEVEL		IN BLUE
WATER DAM		LETTER 'W' TO BE WRITTEN IN BLUE
IR CROSSING		INTAKE ARROW IN BLUE AND RETURN ARROW IN RED
DOORS		IN RED BOW OF 'D' IS INDICATIVE OF DIRECTION OF OPENING OF DOOR
EXPLOSION PROOF IR CROSSING		INTAKE ARROW IN BLUE AND RETURN ARROW IN RED
RAILWAY		
WICK/STONE OR CONCRETE VENTILATION STOPPING		IN RED

Schedule IV—Contd.

Name	Symbol	Remark
DIRECTION OF AIR CURRENT		INTAKE IN BLUE RETURN IN RED
TELEPHONE	(a) SURFACE  (b) UNDERGROUND 	
FIRE DAM SEAL OR STOPPING		IN RED
EXPLOSION PROOF STOPPING		IN RED
REGULATOR		IN RED
AUXILIARY FAN/BOOSTER FAN		IN RED
UNDERGROUND FIRST AID STATION.		THICK CROSS IN RED
ENGINE HQ OR ROOM		
PROTATORY ISOLATION STOPPING		IN RED
PUMPING STATION		LETTER 'P' TO BE WRITTEN IN BLUE
SAND STOWED AREA		
FIRE EXTINGUISHER/FIRE STATION		IN RED

SCHEDULE V

[See rule 22(1)]

MEDICAL EXAMINATION

1. Every person selected for undergoing training in rescue and recovery work and every rescue trained person shall be thoroughly examined medically. Particular attention shall be paid to the following requirements :

- (1) The person shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect.
- (2) The limbs shall be well formed and developed and the function of all limbs shall be within normal limits.
- (3) (a) The standard of distant vision without glasses shall not be less than the following :
 - (i) Better eye —6/6
 - (ii) Worse eye —6/9
- (b) There shall be no squint in the eyes.
- (c) There shall not be any organic disease of the eyes, which is likely to affect distant vision within a period of one year.
- (d) The person shall not be suffering from nystagmus.
- (4) Hearing shall be good Person shall be able to hear conversational voice from a distance of 3meters.

- (5) (a) Respiratory system shall be sound and free from any chronic laryngeal, bronchial and pulmonary disease.
- (b) An X-ray examination shall be made once in two years and there shall not be any evidence of any pulmonary disease.
- (c) The difference of chest measurements taken after full inspiration and full expiration shall not be less than 5 cms.
- (6) (a) There shall be no evidence of cardiac or vascular disease.
- (b) Normal heart rate shall not be above 90 or less than 60 beats per minute. The person shall be free from dyspnoea on light exertion.
- (c) Blood pressure shall not exceed 140 mm of mercury, systolic and 80 mm of mercury, diastolic.
- (7) Person shall not have hernia.
- (8) Person shall not have Hydrocele.
- (9) The nervous system shall be sound and there shall not be any history of epilepsy or any other organic or hysterical fits or vertigo.
- (10) The gums and teeth shall be healthy and free from any infection. Persons with artificial denture shall be declared unfit.
- (11) Weight of person shall be in accordance with the Table given below :—

Height in centimeters	AGE IN YEARS											
	18 to 22		23 to 27		28 to 32		33 to 37		38 to 42		43 to 45	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
140—145	41	52	41	53	43	56	43	57	43	58	43	59
146—150	43	54	43	56	44	59	45	60	45	60	45	61
151—155	45	56	46	58	46	62	47	63	47	64	47	64
156—160	48	59	48	61	48	65	50	67	50	67	50	68
161—165	51	62	51	65	51	69	53	70	53	71	53	72
166—170	54	66	54	68	55	73	55	75	56	75	56	76
171—175	58	71	58	73	58	78	60	80	60	80	60	81
176—180	61	75	62	78	62	83	64	85	64	86	64	87
181—185	65	80	65	83	66	88	68	90	68	92	68	93
186—190	69	85	69	89	70	94	72	96	72	97	72	98

(1) Minimum weight in kilograms.

(2) Maximum weight in kilograms.

N.B. In case of 12 monthly re-examination of rescue trained persons, variation upto 10% in the fitness standards may be accepted.

SCHEDULE VI

[See Rule 20(1)]

COURSES OF INSTRUCTIONS AND PRACTICES

Part I—Initial Course

The course of instructions and practices shall be as follows :

A. Instructions.—Instructions in the following subjects :—

- (i) the general methods of dealing with fires below-ground and the recovery of mines after fires and explosions.
- (ii) the construction, use, repair, maintenance and testing of the type or types of breathing apparatus provided, and the smoke helmets or other apparatus serving the same purpose;
- (iii) the use of methods and apparatus for reviving persons;
- (iv) the properties, and the methods of detection of noxious and inflammable gases which may be found in mines;
- (v) the taking of gas samples in irrespirable atmosphere;
- (vi) the reading of mine plans;
- (vii) the requirements contained in Chapter V and Schedule VI to these Rules.

B. Practices.—Not less than twelve practices with breathing apparatus and not less than two practices with smoke helmets or other apparatus serving the same purpose. The practices in each case shall be carried out under conditions devised to resemble those likely to be encountered in operations below-ground and requiring the use of such apparatus and shall be carried out as follows :

- (a) Not more than eight and not less than five men shall take part in any practice.
- (b) The practices with breathing apparatus shall commence in ordinary air, and shall progress gradually until practices, can be carried out and in hot and irrespirable atmosphere.
- (c) The practices with breathing apparatus shall comprise the following operations :—
 - (i) repeatedly raising and lowering of a weight of 25 kilograms to and from a height of 1.8 metres by means of a rope and pulley;
 - (ii) walking continuously at a fair pace for half an hour;
 - (iii) building and removing temporary stoppings of stone, brick, sand-bags, brattice

cloth or other materials, and carrying the materials required for such operations over a distance of at least ten metres;

- (iv) removing debris in confined space, as representing the clearing of a fall of roof;
- (v) setting timber or other roof supports;
- (vi) carrying, pulling or pushing on a stretcher a live person or dummy body weighing 70 kilogram along the length of the gallery.
- (vii) the rapid establishment of communication.

Part II.—Practices and Instructions after becoming competent.

A. Instructions.—Revision of all subjects included in Part I.

B. Practices.—At least eight practices with breathing apparatus in every calendar year of which at least four shall take place in mines, and the remainder in hot and irrespirable atmosphere in the Training Gallery at Rescue Station. As far as practicable these practices shall be evenly distributed, so however that the gap between two consecutive practices shall not exceed four months.

Provided that, if a rescue trained person fails to undergo a refresher practice over a period exceeding four months, the Chairman, Board of Mining Examinations may, on being satisfied that the discontinuance was on valid reasons, permit him subject to the provisions contained in rule 21, to undergo a special course of refresher practices and instructions, extending over five consecutive days, whereupon, he shall again become active.

Note :—(i) All practices shall last at least two hours except on occasion when, in the opinion of Instructor, it is desirable in the interest of safety to curtail the period of practice.

At some of the practices, breathing apparatus shall be worn continuously for a period of two hours.

- (ii) The code of signals set out in Schedule VII shall be used in training.

SCHEDULE VII

[See rule 20(2) and 32(3)]

CODE OF SIGNALS

One hoot.—“Distress or Help Wanted” (If no answer given to a call, “Distress” to be understood).

Two hoots.—Halt.

Three hoots.—Retire.

Four hoots.—Advance.

Five hoots.—To call attention.

[No. S-65012/1/81-M.I]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.